24.10.2017

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांकः – प्र 8 विविध 05–80/2006 पटना, दिनांकः

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
प्रधान सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल,
किशनगंज / पूर्णियां / अररिया / कटिहार / बरसोई / सुपौल /
सहरसा / मधेपुरा / दरभंगा / सीतामढ़ी / मधुबनी / शिवहर /
मोतिहारी / बेतिया / गोपालगंज / मुजफ्फरपुर–1 / छपरा एवं समस्तीपुर।

विषय– बाढ़–2017 के दौरान क्षतिग्रस्त पथों एवं पुलों के स्थायी पुनर्स्थापन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय,

बाढ़ के दौरान व्यापक पैमाने पर पथ एवं पुलों की क्षति हुई है। आप सभी ने कड़ी मेहनत करके आवागमन को त्वरित गति से अस्थायी पुनर्स्थापन करके चालू किया है। इसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं।

पथों एवं पुलों के स्थायी पुनर्स्थापन के संबंध में विभाग से पूर्व से निर्गत दिशा–निर्देश एवं दिनांक–12.10.2017 को हुई बैठक की चर्चा के मद्देनजर निम्नवत दिशा–निर्देश पुनः दुहराये जाते हैं :–

1. पुल–पुलियों का निर्माण :– पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के वरीय परियोजना प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण करने के उपरान्त जिन कटाव स्थलों पर पुल बनाने की संयुक्त अनुशंसा की गई है, उन सभी स्थानों पर पुल बनाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। 30 (तीस) मीटर से अधिक लंबाई के पुलों का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा किया जायेगा। 30 (तीस) मीटर से कम लंबाई वाले पुलों का निर्माण कार्य संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा किया जायेगा। OPRMC पथों में 6 (छः) मीटर से कम लंबाई के पुलियों का निर्माण OPRMC के संवेदक द्वारा ही किया जायेगा। 6 (छः) मीटर से अधिक एवं 30 (तीस) मीटर से कम की लंबाई के पुलों का निर्माण, कार्य प्रमंडल द्वारा किया जायेगा। OPRMC पथों में ऐसा कार्य नई निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

2. जिन स्थानों पर पुल निर्माण की आवश्यकता नहीं है, वहाँ बिटुमिनस लेयर के माध्यम से पुनर्स्थापन किया जायेगा। जो पथ OPRMC/CMBD मे है, उनके पथ सतह का संधारण संबंधित एजेंसी द्वारा किया जायेगा। जो पथ OPRMC/CMBD में नहीं है, उनका पुनर्स्थापन कार्य प्राक्कलन बनाकर सक्षम स्तरीय स्वीकृति प्राप्त

करके प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करके निविदा आमंत्रित करके सम्पन्न कराया जायेगा।

3. सम्पूर्ण राज्य में लगभग 5 (पाँच) ऐसे पथ चिह्नित हुये हैं, जिनमें अत्यधिक क्षति हुई है एवं ये CMBD के अन्तर्गत संधारित है। इन पथों के पुनर्निर्माण के लिए पथवार अलग–अलग प्राक्कलन गठित करके विशिष्ट प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाय।

4. निधि की व्यवस्था :– बाढ़ के कारण हुए क्षति के पुनर्स्थापन कार्य पर हुए सम्पूर्ण व्यय (अस्थायी/स्थायी) की प्रतिपूर्ति FDR मद से की जायेगी। FDR मद में अपर्याप्त आवंटन रहने की स्थिति में विभाग के संगत शीर्ष में उपलब्ध राशि से व्यय किया जायेगा।

5. अस्थायी संधारण के लिए कार्य प्रमंडलों की मांग के आलोक में निधि FDR मद से आवंटित की जा चुकी है। तद्नुसार उसका व्यय किया जाय।

6. OPRMC पथों में बाढ़ के कारण हुई क्षति के पुनर्स्थापन पर किये गये व्यय को FDR मद से प्रतिपूर्ति किया जायेगा और यह राशि पूर्व से निर्धारित Provisional Sum की राशि के अतिरिक्त होगी। इसी प्रकार स्थायी पुनर्स्थापन कार्य हेतु भी निधि की व्यवस्था की जायेगी।

7. समय–सीमा :– OPRMC/CMBD संवेदकों द्वारा कराये जाने वाले सभी कार्य 15 दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण कर लिये जायें। जो पथ OPRMC/CMBD में संधारित नहीं है, उन्हें भी 31 जनवरी, 2018 तक अनिवार्य रूप से पुनर्स्थापित कर पूर्ण करा लिया जाय।

8. संबंधित अधीक्षण अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि वे अगले 7 दिनों के अन्दर प्राक्कलन गठित करवाकर सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके निविदा जारी करवायेंगे। बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथों का ससमय संधारण सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता की होगी।

9. इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आने पर सीधे वरीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाय एवं अभियानस्वरूप इस कार्य को पूर्ण कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक– 9262(5) पटना, दिनांक– 24/10/17

प्रतिलिपि– संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/X/17

(अमृत लाल मीणा)